

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-211/2017/1746/22-2-2016-17(342)/2016
लखनऊ: दिनांक: 21 मार्च, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, सुल्तानपुर के सिद्धदोष बन्दी मो0 इस्लाम (बन्दी संख्या-32/2016) पुत्र श्री मो0 हनीफ, निवासी-पिपरी, थाना-कुंडवार, जिला-सुल्तानपुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-177/1978 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की धारा-342, 336, 427, 147 के अधीन दिनांक 30-10-1980 को मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सुल्तानपुर द्वारा 01 वर्ष के दण्ड से दण्डित किया गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-211/2017/1746(1)/22-2-2016 तद्विनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्थ, 30प्र0, लखनऊ।
- 2-जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर।
- 3-पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर।
- 4-अधीक्षक, जिला कारागार, सुल्तानपुर।
- 5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6-गाई फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।